आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

10.03.14
25.04.14

न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

भू–हदबंदी ((16(3)) वाद संख्या 01/2013–2014

संजय सिंह वनाम् अलख निरंजन एवं अन्य

आदेश

आवेदक संजय सिह पिता स्व० बासुदेव सिंह साकिन ग्राम चमंडी थाना वो अंचल कुर्था जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से बिहार भू–हदबंदी अधिनियम की घारा 16(3) के तहत विपक्षी अलख निरंजन वगैरह के विरूद्व वाद दायर किया है। विवादित भूमि का विवरणी निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
238	210	9.375 डी०	उ०– छरकी द०– सहदेव सिंह पू०– संजय सिंह प०– धमंडी सिंह

अवस्थित मौज़ा चमण्डी थाना कुर्था, जिला अरवल।

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए और वाद की पोषणीयता (Maintainabilitiy) पर प्रश्न उठाया जिस पर उभय पक्ष की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विपक्षीगण अलख निरंजन सिंह वो त्रिभुवन कुमार वो अवधेश कुमार पिता स्व० योगेन्द्र प्रसाद ने विवादित जमीन को केवाला संख्या 11 दिनांक 02.01.2013 के द्वारा श्री अजय प्रताप सिंह पिता स्व० वासुदेव सिंह से क्रय किया है।

(2) विपक्षीगण विवादित जमीन के न तो सह रैयत है और न हीं अरिया रैयत।

(3) आवेदक विवादित जमीन के सह रैयत है।

(4) आवेदक के द्वारा विवादित भूमि का बिकी मूल्य और अतिरिक्त 10% राशि चालान के द्वारा कोषागार में दिनांक 29.01.2013 को जमा कर दी गई है।

(5) आवेदक के द्वारा केवाला की तिथि के 90 दिनों के अंदर वाद दायर किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि को अग्रक्रय करने का अधिकार आवेदक को है। अतः न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वे उसी शर्त पर जिस पर विपक्षीगण के द्वारा विवादित भूमि को क्रय किया गया था पर विपक्षीगण को आवेदक के पक्ष में केवाला करने का आदेश दिया जाय।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 04 की मौरूसी भूमि थी और ये लोग आपस में दो भाई थे।

(2) प्रतिवादी संख्या 04 दोनों भाई आपस में खानगी डेयोढ़बंदी से बॅटकर अलग–अलग है,वैसी स्थिति में अपने खास हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तक को कुल जरसमन वसूल भूमि केवाला कर दिया।

(3) उपरोक्त विवादित भूमि को केतागण ने दिनांक 09.01.2013 को ही अपने

बहनोई सुनील कुमार पाल को निबंधित दान कर कब्जा दे दिया है।

(4) विपक्षी एवं आवेदक एक ही गॉव के है और उपरोक्त तथ्यों की जानकारी उन्हें पूर्व से थी,फिर भी सारे तथ्यों को छुपाकर आवेदक के द्वारा यह वाद लाया गया है।

(5) विपक्षी के बहनोई सुनील कुमार भूमिहीन ब्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि के अलावे कोई अन्य भूमि इनके नाम से नही है,इस नाते भी यह वाद चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चुँकि वाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विपक्षीगण के द्वारा भूमि का हस्तांतरण अपने बहनोई सुनील कुमार को किया जा चुका है और आवेदक के द्वारा उपरोक्त सुनील कुमार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, वाद पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने यह हकसफा वाद दिनांक 07.02.2013 को दायर किया है,जिसमें अलख निरंजन,त्रिभुवन कुमार वो अवधेश कुमार सभी पिता स्व० योगेन्द्र प्रसाद को विपक्षी पक्षकार बनाया है। परन्तु विपक्षीगण के द्वारा वाद दायर होने के पूर्व ही दिनांक 09.01.2013 को विवादित भूमि का हस्तांतरण निबंधित दान पत्र के माध्यम से, श्री सुनील कुमार पाल को कर दिया गया है और आवेदक के द्वारा श्री सुनील कुमार पाल को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह हकसफा वाद पोषणीय नहीं है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25.04

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

25.04

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।